फर्द अहकाम

प्रताप सिंह बनाम लीलाराम और

य उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर ग्रामीण

60/2023

नांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
6/03/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वकील प्रार्थी ने कहा कि मुख्तयारआम के द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज करवाया है। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक - 02/04/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
02/04/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। पत्रावली आदेश से विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध प्रा.पत्र, जवाब प्रा.पत्र, प्रारम्भिक आपत्ति प्रा.पत्र व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व बहस को मनन करने पर प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली कैफियत मुताबिक होकर नक्शा ति. कम हो तत्पश्चात बाद तामील होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

(13)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
23	12 / 06 / 2023	02 / 04 / 2024

–उनवान–

वर्य सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह जाति राजपूत निवासी मकान नम्बर 2172, सानकोटडा हाउस ट मण्डी जौहरी बाजार जयपुर राजस्थान जरिये बहैसियत मुख्त्यारआम लोकपाल सिंह पुत्र स्व0 ाकूर जयसिंह जाति राजपूत निवासी प्लाट 44 / 45 इन्द्रा कॉलोनी बनीपार्क जयपुर हाल निवासी वेणी धाम ग्राम साईवाड तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

ीताराम पुत्र महादेव मीना जाति मीना निवासी ग्राम सानकोटडा तहसील आंधी जिला जयपुर ाजस्थान
ातादीन पुत्र खेताराम जाति बलाई निवासी चनाना तहसील ..... जिला झुंझूनू राजस्थान।
कैलाश पुत्र बुजमोहन जाति ब्राहमण निवासी सानकोटडा तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।
बाल्या पुत्र नेहल्या जाति बलाई निवासी सानकोटडा तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।
चन्द्र सिंह पुत्र स्व0 बिरदूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हिंगोटीया तहसील बस्वा जिला दौसा राजस्थान।
राज0 सरकारा जरिये तहसीलदार आंधी, तहसील आंधी जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

स्थित अभिभाषक
सत्यपाल गुर्जर :– वकील प्रार्थी।
रामकरण शर्मा :– वकील अप्रार्थी सं0 5

प्रार्थनापत्र बाबत् पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण इस कथन के साथ पेश किया कि ार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 584 रकबा 1.0100 हैक्टेयर, खसरा म्बर 601 रकबा 1.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 603 रकबा 1.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 611 रकबा .0100 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.0400 हैक्टेयर ग्रामतन सानकोटडा पटवार हल्का सानकोटडा तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा भूमि पर कब्जा करने की नियत रखते है तथा सीमा को लेकर लडाई झगडा करते रहते है तथा आये दिन प्रार्थी को हैरान परेशान करते रहते है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है लेकिन अप्रार्थीगण व उनके परिवारजन आये दिन प्रार्थी की भूमि की सीमा को लेकर लडाई झगडा करते रहते है तथा प्रार्थी की भूमियों में प्रवेश कर अतिक्रमण करने की कुचेष्टा कर रहे है तथा प्रार्थी ने अपनी भूमियों का सीमाज्ञान पूर्व में दिनांक 29.04.2023 को करवा चुका है जिसके बावजूद अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि की सीमाओं में प्रवेश कर अतिक्रमण करना चाहते है जिससे प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमियों की पुख्ता पत्थरगढी करवाकर सीमा निश्चित कर सके तथा जिससे की भविष्य में किसी प्रकार का सीमा विवाद उत्पन्न ना हो। जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के चारों तरफ (चारों दिशाओं) की मुकम्मिल पत्थरगढी मय पुलिस जाप्ता के साथ टीम गठित कर पत्थरगढी के आदेश फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। अप्रार्थी सं0 1 व 4 ने दिनांक 27.06.23 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार हेतु मौखिक सहमति दी। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा ने दिनांक 26.23 को वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 11.03.24 को जवाब मय प्रा0 आपत्ति पेश की। जिसे ल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित इनके विरूद्ध ंक 26.09.23 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 6 (पैरोकार सरकार) ने अपने क/आर.टी./2023/773 दिनांक 18.9.23 द्वारा रिपोर्ट पेश कर रिपोर्ट में निवेदन किया कि ग्राम कोटडा पटवार हल्का सानकोटडा खाता संख्या 296 खसरा नम्बर 584/1.01है0, 601/1.01है0, 01है0, 611/1.01है0 किस्म बारानी 3 खातेदार लोकपाल सिंह पुत्र ठाकूर जयसिंह हिस्सा सम्पूर्ण राजपूत सा044/45 इन्द्रा कॉलोनी बनीपार्क जयपुर खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा वर्तमान में मौके उक्त खसरा नम्बर पर फसल नही है व अडौसी–पडौसी खसरा नम्बर में फसल होने के कारण न समय में पत्थरगढी नही किया जाना उचित होगा। उक्त खसरा नम्बरों का पूर्व में सीमाज्ञान ा जा चुका है।

वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को राते हुए वादग्रस्त उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया तथा ील अप्रार्थी सं0 5 ने दिनांक 11.03.24 को प्रस्तुत जवाब मय प्रा0 आपत्ति में अंकित बिन्दूओं को राते हुये निवेदन किया कि प्रारम्भिक आपत्ति –अप्रार्थी सं0 5 की संयुक्त खातेदारी भूमि हाल खसरा बर 601/665 रकबा 1.0100 है0 है जो कि ग्राम सानकोटडा में स्थित है। तथा प्रार्थी ने तथ्य पाकर मिथ्या आधारो पर बिना पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाये ी उक्त मिथ्या प्रकरण प्रस्तुत किया जो खारिज फरमाया जावें। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 584, 601, 603, 611 जिनके चारों रफ लगती हुई खातेदारी भूमियों खसरा नम्बर 610, 612, 604, 598, 599, 581, 602, 611/646, 613, 8, 609, 583, 585, 597 की खातेदारी भूमियां लगती हुई स्थित है। तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी मियों की पत्थरगढी करवाने से पूर्व पडौसी सभी काश्तकारों को पक्षकार बनाया जाकर उनकी विधिवत नवाई की जाकर ही पत्थरगढी की जा सकती है। ऐसी स्थिति में पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाया ाना कानूनन आवश्यक है। गत खसरा नम्बर 438/467मि. रकबा 5.34 है0 भूमि दर्ज रिकार्ड तरमीम द्वा रही है जिसको अवधि बंदोबस्त 10 मार्च 2008 से 9 मार्च 2028 मे परिवर्तित हाल खसरा नम्बर रकबा 5.34 है0 कायम किये गये है तथा स्वरूप सिंह की तन्हा खातेदारी भूमि का हाल नक्शा पूर्व ा से भिन्न तरमीम हाल नक्शा संकुचित कर दिया गया है तथा हाल खसरा नम्बर 574, 570, 576, 77 का हाल नक्शा गलत तरमीम कर दिया गया तथा पूर्व नक्शें व हाल नक्शें का मौका मिलान में न्नता है एकीकरण नक्शा ट्रेस का हाल सर्वे शीट का मिलान करने से सम्पूर्ण ग्राम के नक्शें में न्नता आती है मौका निरीक्षण से स्पष्ट होता है कि हाल सर्वेशीट (नक्शा) मे मौका नही खाता है। हाल नक्शा व पूर्व नक्शा में मिलान नही होता है ऐसी स्थिति में गलत नक्शें से पत्थरगढी के आदेश दिये जाना न्यायाचित नही है। मौके पर प्रार्थी का कब्जा नही है तथा कब्जा के अभाव में पत्थरगढी की कार्यवाही किया जाना संभव नही है तथा पत्थरगढी की आड मे कब्जाधारी को बेकाबिज नही किया जा सकता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रा0 पत्र कब्जा के अभाव में खारीज फरमाया जावें। प्रकरण में दर्ज अप्रार्थी संख्या 6 तहसीलदार आंधी मौका व हाल व साबिक नक्शें के बारे में सही जानकारी भी तहसीलदार ही दे सकता है ऐसी स्थिति में तहसीलदार से हाल नक्शा व साबिक नक्शा की रिपोर्ट लिये बगैर पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित नही है।

जवाब प्रार्थना पत्र – प्रा0पत्र में मद सं0 1 में वर्णित भूमि प्रार्थी के नाम होना मात्र स्वीकार है किन्तु उक्त भूमियों पर प्रार्थी का किसी भी प्रकार से कोई कब्जा काश्त नही है तथा मौका स्थिति एवं राजस्व नक्शा में अन्तर है तथा उक्त भूमियों के लगवा खसरा नम्बर 584, 601, 603, 611 जिनके चारों तरफ लगती हुई खातेदारी भूमियों खसरा नम्बर 610, 612, 604, 598, 599, 581, 602, 611/646, 613, 618, 609, 583, 585, 597 की खातेदारी भूमियां लगती हुई स्थित है। जिन खातेरों को प्रकरण में पक्षकार अप्रार्थी बनाया जाना कानूनन आवश्यक है। प्रा0पत्र का मद सं0 2 में वर्णित तथ्यों में सीमा को लेकर लडाई झगडा करते रहते है तथा आये दिन हेरान परेशान करते रहते है' उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी का मौके पर कब्जा नही है एवं प्रार्थी ने पडौसी खातेदारान को पक्षकार संयोजित प्रकरण में नही किया है तथा पडौसी खातेदारान सभी को पक्षकार बनाया जाना कानूनन आवश्यक है। बिन्दू सं0 3 आधारहीन होने अस्वीकार है। मौके पर कभी भी सीमाज्ञान के लिये पटवारी हल्का व तहसीलदार नही गये है तथा बिना मौके पर गये ही फर्द मौका तैयार किया गया है जबकि प्रार्थी का वादांकित भूमियों पर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

कब्जा ही नही है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावें। मद सं0 5 अस्वीकार जब प्रार्थी का मौके पर कब्जा ही नही है तो पत्थरगढी की आड में प्रार्थी कब्जाधारियों को बेकाबिज ा कब्जा करना चाहता है जबकि प्रार्थी का पत्थरगढी की आड में बेकाबिज करने का कोई अधिकार ी है। अतः ग्राम सानकोटडा तहसील आंधी मे स्थित भूमियों खसरा नम्बर 584, 601, 603, 611 जिनके ों तरफ लगती हुई खातेदारी भूमियां खसरा नम्बर 610, 612, 604, 598, 599, 581, 602, 611/646, ा, 618, 609, 583, 585, 597 की खातेदारी भूमियां लगती हुई स्थित है को पक्षकार बनाया जाना नून आवश्यक है तथा कब्जा के अभाव में व नक्शा में अंतर होने के कारण पत्थरगढी किया जाना व नही है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

वकील उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगणो के प्रार्थना पत्र, जवाब प्रा0 प्रारम्भिक आपत्ति प्रा0 पत्र व अन्य दस्तावेजो का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गत धारा 128 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेशित दिया जाता है कि ग्राम कोटडा, तहसील आंधी, जिला जयपुर मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 584 रकबा 1.0100 हैक्टेयर, रा नम्बर 601 रकबा 1.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 603 रकबा 1.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 611 बा 1.0100 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.0400 हैक्टेयर में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई गन आदेश न हो तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट जवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। अगर किसी पड़ौसी खातेदार ा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 02/04/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया ा।

उप खण्ड अधिकारी
(सिविल सेवा)
जमवारामगढ
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ